उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या 1004 /2025/3485/41-2-2025-सीएन-1993758
लखनऊ दिनांक 16 दिसम्बर, 2025
संख्या-933/2025/3202/41-1-2025-001-सी0एन0-1993758. दिनांक 30.11.2025. का
शुद्धि पत्र

निदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-4280/7-1-1/जि०यो०/फिरोजाबाद/रूचन/2025-26/2025, दिनांक 03.12.2025 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार जनपद फिरोजाबाद के हनुमान मंदिर रूचक का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-933/2025/3202/41-1-2025-001-सी०एन०-1993758, दिनांक 30.11.2025 में पृष्ठांकन के क्रमांक-10 पर उप निदेशक पर्यटन/ आहरण वितरण अधिकारी आगरा के स्थान पर त्रुटिवश क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, आगरा अंकित हो गयाहै। .

2- अतः शासनादेश संख्या-933/2025/3202/41-1-2025-001-सी०एन०-1993758, दिनाक 30.11.2025 में पृष्ठांकन के क्रमांक 10 पर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी आगरा के स्थान पर **उप निदेशक पर्यटन/आहरण वितरण अधिकारी, आगरा** अंकित किया जाता है।

3- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 30.11.2025 को संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष मार्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषितः

1.प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2.महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
3.जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4.मुख्य कोषाधिकारी, आराहा
5.प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्राजक्टस कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
6.वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय लखनऊ।
7.निदेशक, उत्तर प्रदेशजीवन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) ।
8.संयुक्त निर्देशक पर्यटन, जिल् जिला योजना मुख्यालय, लखनऊ।
9.उप निदेशक पर्यटन/आहरण वितरण अधिकारी, आगरा
10. वित्तः व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11.गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in